

प्रेस नोट – कादरीगेट

दिनांक – 01.10.2026

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को चोरी किये हुए माल (4.200 किलोग्राम तांबे का तार व 02 पीतल के बर्तन तथा एक स्टील

की पानी की टोटी) के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2026 धारा 331(4)/305ए/317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त 1.अमित उर्फ हल्टर 2.समीर उर्फ बाबा को चोरी किए गए माल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अमित उर्फ हल्टर पुत्र राम किशोर निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
2. समीर उर्फ बाबा पुत्र बब्लू निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 30.09.2026 को थाना कादरीगेट पर वादी मुकदमा मो0 आरिफ पुत्र बब्लू निवासी अमेठी जदीद थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ की लिखित तहरीर पर बाबत ज्ञात चोरों द्वारा सिलाई के कारखाने में रखे जनरेटर को खोलकर ऑल्टीनेटर में लगे तांबे के तार को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 231/26 धारा 331(4)/305A बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत हुआ था। विवेचना के क्रम में चेकिंग के दौरान अभियुक्त 01. अमित उर्फ हल्टर पुत्र राम किशोर निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ 02. समीर उर्फ बाबा पुत्र बब्लू निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को चोरी किए गए माल सहित बरामद कर, बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि दिनांक 29/30.09.2026 की रात्रि को हमने अपने साथियों के साथ मिलकर सिलाई कारखाना अमेठी जदीद के पीछे दीवाल से चढ़कर कारखाने में रखे जनरेटर के मोटर को खोल कर चुराया था और और खेतों में छुपा दिया था। उसके बाद हम लोगो ने तांबे का तार आपस में बाँट लिया था। जिसे आज साफ करके बेचने के लिये ले जा रहे थे कि आप लोगो ने हमें पकड़ लिया है। गलती हो गई है माफ कर दीजिए।

अभियुक्त अमित उर्फ हल्टर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 231/26 धारा 331(4)/305A/317(2) बी0एन0एस0 थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
02. मु0अ0सं0 185/26 धारा 331(4)/305A/317(2) बी0एन0एस0 थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
03. मु0अ0सं0 110/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त समीर उर्फ बाबा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 231/26 धारा 331(4)/305A/317(2) बी0एन0एस0 थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 4.200 किलोग्राम तांबे का तार
- 2- दो अदद पीतल के बर्तन
- 3- एक अदद स्टील की पानी की टोटी

गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार
2. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार कश्यप
3. का0 अंकुश देशवाल
4. का0 रक्तावार शरण
5. का0 उपेन्द्र कुमार
6. का0 पीयूष कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।